## झारखण्ड सरकार वाणिज्य-कर विभाग

ज्ञाप संख्या-वाकर/GST/12/2017- 2639

/राँची, दिनांक- 18 . ०२ - 17

## शुद्धि-पत्र

वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-2/2017 राज्य कर (दर) जो कि झारखण्ड गजट में एस0ओ० 32 दिनांक 29.06.2017 द्वारा प्रकाशित की गयी है, में:-

- 1. अनुसूची के कम संख्या—45 के कॉलम 3 में ''शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त चाहे त्वचा रहित या विपाटित है अथवा नहीं ''के स्थान पर ''शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित है अथवा नहीं [ उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रॉण्ड नाम है ]'' पढ़े।
- 2. अनुसूची के कम संख्या—148 के कॉलम—3 की कंडिका (vi) में शब्द " [प्रस्तावित जी०एस०टी० शून्य] " का लोप करें।

(के०के०खण्डेलवाल) प्रधान सचिव–सह–आयुक्त।

## Government of Jharkhand Commercial Taxes Department

Letter No. Va.Kar/GST/12/2017 - 2639

/Ranchi dated. 18.67.17

## Corrigendum

In the Departmental Notification No. - 2/2017 State Tax (Rate) published in the Jharkhand Gazette as S.O. No. 32 dated 29.06.2017 -

- 1. In the Schedule, in Sl. No. 45, in column (3), for the words "Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split" read "Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [other than put up in put up in unit container and bearing a registered brand name] ".
- 2. In the Schedule, in Sl. No. 148, in column (3), in clause (vi), the words "[proposed GST Nil]" may be deleted.

(K.K. Khandelwal)

Principal Secretary-cum-Commissioner.